

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 839]
No. 839]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अप्रैल 12, 2013/चैत्र 22, 1935
NEW DELHI, FRIDAY, APRIL 12, 2013/CHAITRA 22, 1935

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 अप्रैल, 2013

(आयकर)

का.आ. 951(अ).—जबकि आय पर तथा पूंजी पर करों के बारे में दोहरे कराधान के परिहार तथा वित्तीय अपवंचन की रोकथाम के लिए भारत गणराज्य की सरकार तथा संयुक्त अरब अमीरात की सरकार के बीच 16 अप्रैल, 2012 को हस्ताक्षरित करार के साथ संलग्न दूसरे संशोधनकारी प्रोटोकोल (इसके पश्चात् इसे 'प्रोटोकोल' कहा जायेगा) 12 मार्च, 2013 से लागू होगा जो उक्त करार के अनुच्छेद-2 के अनुसार इस प्रोटोकोल को लागू करने के लिए संबंधित देशों के कानूनों द्वारा यथा अपेक्षित प्रक्रियाओं को पूरा करने के बाद अधिसूचनाओं में से बाद की अधिसूचना की तारीख है।

इसलिए, अब आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 90 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्वारा निदेश देती है कि इसके साथ संलग्न उक्त प्रोटोकोल के सभी उपबंध भारत संघ में 12 मार्च, 2013 से लागू होंगे।

[अधिसूचना सं. 29/2013/फा.सं. 503/05/2004-वि.क.प्र. II]

के. रामालिंगम, संयुक्त सचिव

आय एवं पूंजी पर करों के संबंध में दोहरे कराधान के परिहार और वित्तीय अपवंचन को रोकने के लिए भारत गणराज्य की सरकार और संयुक्त अरब अमीरात की सरकार के बीच करार को संशोधित करने वाला दूसरा प्रोटोकोल

भारत गणराज्य की सरकार

और

संयुक्त अरब अमीरात की सरकार

आय तथा पूंजी पर करों के संबंध में दोहरे कराधान के परिहार एवं वित्तीय अपवंचन को रोकने के लिए भारत गणराज्य की सरकार और संयुक्त अरब अमीरात की सरकार के बीच करार जिस पर 29 अप्रैल, 1992 को नई दिल्ली में हस्ताक्षर किए गए थे, जिसे भारत गणराज्य की सरकार और संयुक्त अरब अमीरात की सरकार के बीच 26 मार्च, 2007 को हस्ताक्षरित प्रोटोकोल द्वारा संशोधित किया गया था (जिसे इस प्रोटोकोल में "करार" कहा जाएगा) को संशोधित करने की इच्छा से,

अनुच्छेद 1

करार के अनुच्छेद 28 को हटा दिया जाएगा और निम्न द्वारा प्रतिस्थापित करके संशोधित किया जाता है :

“अनुच्छेद 28**सूचना का आदान-प्रदान**

1. संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी ऐसी सूचना का आदान-प्रदान करेंगे जो कि इस करार के उपबंधों को लागू करने अथवा संविदाकारी राज्यों अथवा उनके राजनैतिक उप-प्रभागों अथवा स्थानीय प्राधिकरणों की ओर से लगाए गए प्रत्येक प्रकार एवं विवरण के करों से संबंधित आंतरिक कानूनों के प्रशासन अथवा प्रवर्तन के लिए अनुमानतः संगत हैं, जहां तक कि उनके अधीन कराधान इस करार के प्रतिकूल नहीं है ।
2. संविदाकारी राज्य द्वारा पैराग्राफ 1 के अंतर्गत प्राप्त की गई कोई सूचना उस राज्य के आंतरिक कानूनों के अंतर्गत प्राप्त सूचना के समान ही गुप्त समझी जाएगी और उसे केवल उन व्यक्तियों अथवा प्राधिकारियों (जिसमें न्यायालय और प्रशासनिक निकाय शामिल हैं) को प्रकट किया जाएगा, जो पैराग्राफ 1 में उल्लिखित करों के संबंध में उनका निर्धारण या उनकी वसूली करने, उनके प्रवर्तन अथवा अभियोजन के संबंध में अथवा अपीलों का निर्धारण करने या उपर्युक्त की चूक से संबद्ध हो । ऐसे व्यक्ति या प्राधिकारी सूचना का उपयोग केवल ऐसे ही प्रयोजन के लिए करेंगे । वे इस सूचना को सार्वजनिक न्यायालय की कार्यवाहियों अथवा न्यायिक निर्णयों में प्रकट कर सकते हैं ।
3. किसी भी स्थिति में पैराग्राफ 1 और 2 के उपबंधों का अर्थ किसी संविदाकारी राज्य पर निम्नलिखित दायित्व डालना नहीं होगा :
 - (क) उस अथवा दूसरे संविदाकारी राज्य के कानूनों और प्रशासनिक प्रथा से हट कर प्रशासनिक उपाय करना;
 - (ख) ऐसी सूचना प्रदान करना जो उस अथवा दूसरे संविदाकारी राज्य के कानूनों के अंतर्गत अथवा प्रशासन की सामान्य स्थिति में प्राप्य नहीं है;
 - (ग) ऐसी सूचना प्रदान करना जिससे कोई व्यापारिक, कारोबारी, औद्योगिक, वाणिज्यिक अथवा व्यावसायिक, गोपनीयता अथवा व्यापार प्रक्रिया अथवा सूचना प्रकट होती हो, जिसको प्रकट करना सार्वजनिक नीति के प्रतिकूल हो (आईर पब्लिक) ।
4. यदि किसी संविदाकारी राज्य द्वारा इस अनुच्छेद के अनुसार किसी सूचना को प्राप्त करने के लिए अनुरोध किया जाता है तो दूसरा संविदाकारी राज्य अनुरोधित सूचना को प्राप्त करने के लिए सूचना एकत्र करने वाले अपने उपायों का उपयोग करेगा, चाहे उस दूसरे राज्य को अपने स्वयं के कर प्रयोजनों के लिए ऐसी सूचना की कोई आवश्यकता न हो । पिछले वाक्य में अन्तर्निहित दायित्व पैराग्राफ 3 की सीमाओं के अधीन है परन्तु किसी भी स्थिति में ऐसी सीमाओं का यह अर्थ नहीं होगा कि संविदाकारी राज्य को केवल इस कारण से सूचना प्रदान करने से मना करने की अनुमति देना है कि ऐसी सूचना में उसका कोई आंतरिक हित नहीं है ।
5. किसी भी स्थिति में पैराग्राफ 3 के उपबंधों का अर्थ किसी संविदाकारी राज्य को केवल इसलिए सूचना की आपूर्ति करने से मना करने के लिए अनुमति देने से नहीं लगाया जाएगा कि सूचना किसी बैंक, अन्य वित्तीय संस्थान, किसी एजेंसी या किसी न्यासी क्षमता में कार्यरत नामिती या व्यक्ति के पास है या यह किसी व्यक्ति के स्वामित्व हित से संबंधित है ।”

अनुच्छेद - 2**प्रवृत्त होना**

संविदाकारी राज्य इस प्रोटोकॉल को लागू करने के लिए अपने घरेलू अपेक्षाओं के पूरा होने के बारे में राजनयिक माध्यम से लिखित में एक-दूसरे को सूचित करेंगे। प्रोटोकॉल, जो करार का एक अभिन्न अंग होगा, अंतिम अधिसूचना की तारीख को लागू होगा और तत्पश्चात इस प्रोटोकॉल के प्रवृत्त होने की तारीख से लागू होगा।

जिसके साक्ष्य में, इसके लिए विधिवत प्राधिकृत अधोहस्ताक्षरियों ने इस प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए हैं।

आबू धाबी में वर्ष दो हजार बारह के अप्रैल माह के 16वें दिन हिन्दी, अरेबिक एवं अंग्रेजी भाषाओं में दो-दो मूल प्रतियाँ में निष्पन्न किया गया और सभी पाठ समान रूप से प्रामाणिक हैं, किसी भी संदेह की स्थिति में अंग्रेजी पाठ प्रभावी माना जाएगा।

भारत गणराज्य की
सरकार की ओर से

संयुक्त अरब अमीरात
की सरकार की ओर से

(एम.के.लोकेश)
संयुक्त अरब अमीरात में
भारत के राजदूत

(मुसाबाह मोहम्मद अलसुवैदि)
सहायक अवर सचिव
सहयोग सेवाये

MINISTRY OF FINANCE
(Department of Revenue)
NOTIFICATION
New Delhi, the 12th April, 2013
(INCOME TAX)

S.O. 951(E).—Whereas the annexed Second Protocol amending the Agreement between the Government of the Republic of India and the Government of the United Arab Emirates for the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income and on capital (hereinafter referred to as "Protocol") signed on the 16th day of April, 2012 shall enter into force on the 12th day of March, 2013, being the date of the later of the notifications after completion of the procedures as required by the laws of the respective countries for the entry into force of the Protocol, in accordance with Article 2 of the said Protocol.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Section 90 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby directs that all the provisions of the Protocol annexed hereto shall be given effect to in the Union of India with effect from the 12th day of March, 2013.

[Notification No.29/2013/F.No.503/5/2004-FTD-II]

K. RAMALINGAM, Jt. Secy.

SECOND PROTOCOL
AMENDING THE AGREEMENT BETWEEN
THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDIA
AND
THE GOVERNMENT OF THE UNITED ARAB EMIRATES
FOR THE AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATION
AND THE PREVENTION OF FISCAL EVASION
WITH RESPECT TO TAXES
ON INCOME AND ON CAPITAL

The Government of the Republic of India and the Government of the United Arab Emirates

Desiring to amend the Agreement between the Government of the Republic of India and the Government of the United Arab Emirates for the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income and on capital signed at New Delhi on the 29th April, 1992 as amended by the Protocol signed on 26th March, 2007 between the Government of the Republic of India and the Government of United Arab Emirates (in this Protocol referred to as "the Agreement"),

Article 1

The Agreement is amended by omitting Article 28 and substituting:

"Article 28

EXCHANGE OF INFORMATION

1. The competent authorities of the Contracting States shall exchange such information as is foreseeably relevant for carrying out the provisions of this Agreement or to the administration or enforcement of the domestic laws concerning taxes of every kind and description imposed on behalf of the Contracting States, or of their political subdivisions or local authorities, insofar as the taxation there under is not contrary to the Agreement.

2. Any information received under paragraph 1 by a Contracting State shall be treated as secret in the same manner as information obtained under the domestic laws of that State and shall be disclosed only to persons or authorities (including courts and administrative bodies) concerned with the assessment or collection of, the enforcement or prosecution in respect of, the determination of appeals in relation to the taxes referred to in paragraph 1, or the oversight of the above. Such persons or authorities shall use the information only for such purposes. They may disclose the information in public court proceedings or in judicial decisions.

3. In no case shall the provisions of paragraphs 1 and 2 be construed so as to impose on a Contracting State the obligation:

- a) to carry out administrative measures at variance with the laws and administrative practice of that or of the other Contracting State;
- b) to supply information which is not obtainable under the laws or in the normal course of the administration of that or of the other Contracting State;
- c) to supply information which would disclose any trade, business, industrial, commercial or professional secret or trade process, or information the disclosure of which would be contrary to public policy (ordre public).

4. If information is requested by a Contracting State in accordance with this Article, the other Contracting State shall use its information gathering measures to obtain the requested information, even though that other State may not need such information for its own tax purposes. The obligation contained in the preceding sentence is subject to the limitations of paragraph 3 but in no case shall such limitations be construed to permit a Contracting State to decline to supply information solely because it has no domestic interest in such information.

5. In no case shall the provisions of paragraph 3 be construed to permit a Contracting State to decline to supply information solely because the information is held by a bank, other financial institution, nominee or person acting in an agency or a fiduciary capacity or because it relates to ownership interests in a person."

Article 2

ENTRY INTO FORCE

The Contracting States shall notify each other in writing through diplomatic channel of the completion of their domestic requirements for the entry into force of this Protocol. The Protocol, which shall form an integral part of the Agreement, shall enter into force on the date of the last notification, and thereupon shall have effect from the date of entry into force of this Protocol.

IN WITNESS WHEREOF the undersigned, duly authorised, have signed this Protocol.

DONE in duplicate at Abu Dhabi, United Arab Emirates this 16th day of April, 2012, in the Hindi, Arabic and English languages, all texts equally authentic, the English text to be the operative one in case of any doubt.

FOR THE GOVERNMENT OF
THE REPUBLIC OF INDIA

(M. K. LOKESH)
AMBASSADOR OF INDIA TO UAE

FOR THE GOVERNMENT OF
THE UNITED ARAB EMIRATES

(MUSABAH MOHAMED ALSUWAIDI)
ASSISTANT UNDER SECRETARY
FOR SUPPORT SERVICES